जनसुनवाई में अतिक्रमण व रोड़ा में पानी चोरी का मामला पहुंचा

बीकानेर, (कासं)। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान 109 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने विभागीय अधिकारियों को पूर्व की जनसुनवाईयों के लंबित प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निस्तारित प्रकरणों का संतुष्टि दर बढ़ाने के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न करने को कहा। उन्होंने विभागीय अधिकारी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण व प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग से सेवानिवृत महिला को 2013 से पेंशन ना मिलने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने तुरंत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पुरानी गिन्नाणी क्षेत्र में अतिक्रमियों द्वारा 35 फीट की रोड पर अतिक्रमण करने और इसके बाद सिर्फ 3 फीट की रोड बचने की शिकायत पर नगर निगम व बीडीए को संयुक्त जांच करवाने के निर्देश दिए। हुसंगसर में श्मशान भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रकरण में तहसीलदार को सीमा ज्ञान करवा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

नोखा की ग्राम रोड़ा में पानी की चोरी होने व तीन बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने की परिवेदना पर जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग को जांच करने व नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नोखा के ग्राम मन्याणा में खेत पर अतिक्रमण करने की शिकायत पर तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने व एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए।

हरी शीशम लकड़ी से भरी गाड़ी जब्त, एक गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले में वन विभाग ने गुरूवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हरी शीशम की लकड़ी से भरी एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। इसके साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह के 8 अन्य बदमाश फरार हो गए।

यह कार्रवाई वन विभाग द्वारा नहर किनारे लगे पेड़ों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ की गई। विभाग की टीम काफी समय से इस गिरोह का पीछा कर रही थी, जो बड़े हरे पेड़ों को काटकर तस्करी कर बेचता था। वन विभाग को सूचना मिली थी कि एक गिरोह श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न स्थानों से बड़े पेड़ काटकर उन्हें पंजाब में बेचने की योजना बना रहा है। विभाग ने इस गिरोह के एक बदमाश सेवक सिंह, निवासी 11 एसजेएम को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरोह के आठ अन्य बदमाश फरार हो गए हैं। वन विभाग ने जब्त पिकअप गाड़ी से चार कटे हुए शीशम के पेड़ों की लकड़ी बरामद की है। इसके अलावा विभाग ने तस्करों द्वारा एस्कॉर्ट के रूप में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक भी जब्त की है। यह बाइक वन विभाग से बचने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड, बीकानेर

क्रमांक :-3812 दिनांकः- 18.03.2025

निविदा सूचना संख्या 24/वर्ष 2024-25 (NIB Code No. PWD2425A4724)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों द्वारा एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / के लो.नि.वि./डाक एवं दूरसंचार / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको, जो कि राजस्थान सरकार के संवेदकों के समकक्ष (पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड ए. आर. के नियमों) हो उनसें निर्धारित प्रपत्र में विद्युतीकरण कार्यों के लिए मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्रों की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक 26.03.2025 तक दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र उसी दिन दिनांक 26.03.2025 की मध्यान्ह 04.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त कर उसी समय उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की अन्य शर्ते एवं स्वीकृत तकमीना आदि का विवरण किसी भी कार्य दिवस के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। अन्य शर्ते व विवरण इस कार्यालय में व डीपीआर की वेबसाईट www.dipronline.org, http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। कुल कार्यों की संख्या 7 कुल लागत 13.84 लाख ।

UBN No. 1. PWD2425WSOB17053, 2. PWD2425WSOB17054, 3. PWD2425WSOB17055 4. PWD2425WSOB17056, 5. PWD2425WSOB17057, 6. PWD2425WSOB17058 7.PWD2425WSOB17059

(शैलेश कुमार पाठक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. विद्युत खण्ड, बीकानेर

DIPR/C/4038/2025

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपरिषद, हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक- 20317 **लोक सूचना** दिनांक- 20/3/2025

आवेदक श्री मनीष कुमार पुत्र श्री तुलसीराम, निवासी वार्ड नं. 15 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, श्री रामप्रसाद पुत्र श्री गोरीशंकर, निवासी वार्ड नं. 13 सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक कृषि से अकृषि वाणिज्यिक (थोक व्यापार/भंडारण एवं गोदाम) प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम/चक नं.	खसरा संख्या/ पत्थर नं./मुरब्बा नं.	किला नं.	क्षेत्र
हनुमानगढ़	चक 14 एचएमएच	मु.न. 46 पत्थर नं. 138/283	किला नं. 1/1 (0.216), 2/1 (0.228), 3/1 (0.228), 4/1(0.228), 5/1 (0.203), 6/1(0.228), 7(0.253), 8(0.253), 9(0.253), 10/1(0.240), 14(0.207), 15/1(0.1863) कुल 2.7233 है. यानि 27233 वर्गमीटर	कुल रकबा 2.7233 है. यानि 27233 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20/03/2025 को जारी की गयी।

- **प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपरिषद् हनुमानगढ़**

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन /2025/ दिनांक :-

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 02 के किला नं. 13, 14 में माप 59.33 वर्गगज का पटटा संख्या 3126 दिनांक 27.01.2014 को श्रीमती छिनकी बाई पत्नी श्री वीरभान के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त भूखण्ड को श्री सुनील कुमार स्वामी पुत्र श्री काशीराम निवासी वार्ड नं. 4, रवि चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.01.2025 के द्वारा क्रय कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटे का समर्पण कर भूखण्ड की लीज हस्तान्तरित करवाते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - **सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।**

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/3784 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 20.3.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी चक 3 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 किला नं. 18 भू.सं. ए-368 माप 15 इंटू 70 फीट शिव नगर, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 3908 दिनांक 25.3.2017 को श्री जगदीश चन्द्र स्वामी पुत्र श्री दया राम स्वामी के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती कमला देवी द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 8.2.2019 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड के नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी चक 3 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियादि प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/1497 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/3768 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 20.3.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 11 में माप 30 इन्टू 60 फीट श्रीगंगानगर का पटटा संख्या 984 दिनांक 04.07.2013 को श्री कपिल ठक्कर पुत्र श्री मथूरा दास के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त भूमि में से माप 15 इन्टू 60 फीट दक्षिणी हिस्सा श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चेतन प्रकाश एवं माप 15 इन्टू 60 फीट उत्तरी हिस्सा श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री चेतन प्रकाश द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा 02.05.2024 के द्वारा क्रय कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटे का समर्पण कर भूखण्ड की लीज हस्तान्तरित करवाते हुए फ्री होल्ड पटटय जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - **सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/326 **विज्ञप्ति** दिनांक : 18.3.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 35/37 के किला नं. 23 में भूखण्ड माप 87'-3'' गुणा 65'-0'' फीट का नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा आवासीय पटटा सं. 2950 दिनांक 30.12.2013 द्वारा श्री औम प्रकाश पुत्र श्री मोहन लाल के नाम से जारी है। श्री औम प्रकाश द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने हेतु निवेदन किया गया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान में प्रश्नगत भूखण्ड का प्रस्तावित भू-उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधिया (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरित से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - **सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

Government of India | pfrda | अटल पेंशन योजना

साठ वर्ष के बाद वृद्धावस्था में आय सुरक्षा और सम्मान के लिए

7.50 करोड़

अभिदाता अटल पेंशन योजना से जुड़े

"हमारी सरकार का लक्ष्य सभी भारतीय नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे सम्मान और खुशी का जीवन जी सकें"
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

आज ही एपीवाई से जुड़ें और आजीवन गारंटीड पेंशन सहित दो अन्य लाभ भी उठाएं

1. 1000/- या 2000/- या 3000/- या 4000/- अथवा 5000/- रुपये प्रति माह तक आजीवन पेंशन की गारंटी
2. अभिदाता की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को आजीवन समान पेंशन
3. पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात नामिति को 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि की वापसी

अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप **अटल पेंशन योजना** से जुड़ सकते हैं।

आज ही जुड़ें, भुगतान कम करें	आयु	पेंशन स्लैब (₹)	भुगतान राशि (₹)	पेंशन स्लैब (₹)	भुगतान राशि (₹)
	18	1000	42 प्रति माह	5000	210 प्रति माह
	40	1000	291 प्रति माह	5000	1454 प्रति माह

एपीवाई पर अधिक जानकारी के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें

CBC 15113/15/0004/2425

आज ही अपने नजदीकी डाकघर/बैंक में संपर्क करें या 1800 110 069 पर कॉल करें या www.pfrda.org.in पर जाएं।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

राजस्थान सरकार का प्रयास
किसानों में हर्ष उल्लास

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

सरसों एवं चना की खरीद हेतु
पंजीयन - 1 अप्रैल, 2025 से शुरू
तुलाई - 10 अप्रैल, 2025 से शुरू

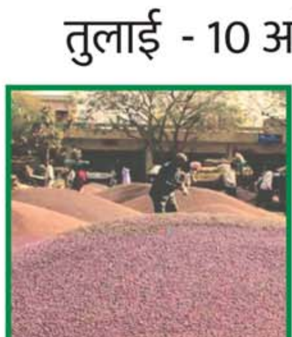

सरसों का समर्थन मूल्य प्रति क्वि.
₹5950
चना का समर्थन मूल्य प्रति क्वि.
₹5650

समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद
10 मार्च, 2025 से शुरू

भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूँ का समर्थन मूल्य प्रति क्वि. ₹2425 + राजस्थान सरकार द्वारा बोनस ₹150
कुल समर्थन मूल्य प्रति क्वि. ₹2575

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं उपज तुलाई की सुविधा

- किसान पंजीयन से पूर्व जनआधार कार्ड में प्रचलित बैंक खाता अवश्य अपडेट करें
- किसान पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड, गिरदावरी (पी-35) ई-मित्र या खरीद केन्द्र पर लेकर जाएं
- जनआधार में प्रचलित मोबाइल नम्बर अपडेट कर आवश्यक जानकारी अपलोड करें
- रजिस्ट्रेशन होने पर किसान के पंजीकृत मोबाइल पर जिन्स की मात्रा एवं तुलाई दिनांक की एसएमएस द्वारा मिलेगी सूचना
- किसान निर्धारित दिनांक को खरीद केन्द्र पर जाएं और अपनी उपज की तुलाई करवाएं
- उपज की राशि किसान के जन-आधार कार्ड में अंकित बैंक खाते में होगी ऑनलाइन जमा

राजस्थान संवाद

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर : 1800 180 6001

सहकारिता विभाग, राजस्थान